# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 2021/02

1. देवकरण गुर्जर आत्मज छीतर लाल ।
2. दयाराम गुर्जर आत्मज छीतर लाल जाति गुर्जर निवासीगण अतरलिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

**बनाम**

ए0एस0आई0 कम्पनी कोटा लि0 कुदायला औद्योगिक क्षेत्र रामगंजमण्डी जरिये अधिकृत अधिकारी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से

दिनांक: 20.07.2022

## निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय 10.11.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के मध्य एक वाद बउनवान मुकदमा ए0एस0आई0 कम्पनी बनाम देवकरण आदि अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ग्राम अतरालिया की खसरा नम्बर 494 एवं 495 के सम्बन्ध में विचाराधीन है । प्रार्थीगण अपने पूर्वज मृतक घासी के समय से ही काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं । प्रार्थीगण ग्राम अतरालिया की खसरा नम्बर 496 की रकबा 4.27 हैक्टर आराजी में मृतक घासी के विधिक वारिसान होने के नाते तथा प्रार्थीगण

के पिता छीतरलाल के पुत्र होने के नाते काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अप्रार्थीगण कम्पनी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त आराजी खनन कार्य हेतु स्वीकृत करवा ली है जो अवैधानिक है । उक्त आराजी को लेकर माननीय न्यायालय में वाद लम्बित है तथा वाद के लम्बित रहते और न्यायालय द्वारा बिना कोई आदेश पारित किये अप्रार्थी कम्पनी उक्त भूमि पर खनन कार्य करने का उतारू है जबकि उक्त भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का है । अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी को बेदखल कर उक्त आराजी पर खनन कार्य करने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थीगण को उनके खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल नहीं करे तथा प्रार्थीगण को पूर्ववत् शांतिपूर्वक काबिज काश्त करते रहने दे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थी करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.11.2020 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.2020 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट के पूर्वज दादा घांसी जी के नाम ग्राम अतरालिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खसरा नम्बर 494, 495 जिनके पुराने खसरा नम्बर 404 व 405 की भूमि दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि माफी खेल की है । अपीलान्ट के दादा खेल भरने का काम करते थे उसके एवज में उक्त भूमि को काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करते चले आ रहे थे उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र छीतर लाल व उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्टगण काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी अपीलान्टगण की फसल खडी है । उक्त भूमि को लेकर गत वर्षों से मुकदमे चल रहे हैं । उक्त मुकदमों के निर्णित होने से पूर्व ही अप्रार्थी प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2020 को पेश किया जिसकी नकल दिनांक 19.11.2020 को प्राप्त हुई । इसके बाद अपीलान्ट देवकरण खांसी जुखाम होने व कोराना का अन्देशा होने पर अपीलान्ट घर पर ही कोरनटाईन हो गया इस कारण अपने वकील साहब से सम्पर्क नहीं कर सका था । अपीलान्ट तबीयत सही होने के उपरान्त अपने वकील साहब से मिला और दिनांक 23.11.2020 को न्यायालय हाजा में अपील पेश कर दी । इन तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

10. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में पूरक संविदा दिनांक 15.05.2017 खनन पट्टे की अवधि दिनांक 01.10.1959 से दिनांक 31.03.2025 तक विस्तारित की गई है कि सत्यप्रतिलिपि है एवं सत्यप्रतिलिपि लीज डीड दिनांक 29.06.2012 मैसर्स एसोसिएटेड स्टोन इण्ड0 कोटा लि0 कुदायला औद्योगिक क्षेत्र कुदायला रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा । उक्त दस्तावेज सत्य प्रतिलिपियॉं हैं जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट एएसआई कम्पनी का कथन है कि ग्राम अतरालिया की खसरा नम्बर 494 व 495 व अन्य भूमियों पर खनन कार्य करने की स्वीकृति जारी की है । उक्त भूमि पर प्रार्थीगण अपीलान्ट का कब्जा काश्त होने से अपीलान्ट के विरूद्ध खसरा नम्बर 494 व 495 की भूमि से बेदखल करने हेतु धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो विचाराधीन है । दौराने वाद एएसआई कम्पनी द्वारा अपीलान्ट को बेदखल करने की धमकी दिये जाने के कारण प्रार्थीगण अपीलान्ट ने एक काउन्टर प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर एएसआई कम्पनी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । कि अपीलान्ट के पूर्वज दादा घांसी जी के नाम ग्राम अतरालिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खसरा नम्बर 494, 495 जिनके पुराने खसरा नम्बर 404 व 405 की भूमि दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि माफी खेल की है । अपीलान्ट के दादा खेल भरने का काम करते थे उसके एवज में उक्त भूमि को काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करते चले आ रहे थे उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र छीतर लाल व उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्टगण काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी अपीलान्टगण की फसल खडी है । उक्त भूमि को लेकर गत वर्षों से मुकदमे चल रहे हैं । उक्त मुकदमों के निर्णित होने से पूर्व ही अप्रार्थी प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2020 निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

12. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 496 रकबा 4.27 हैक्टर भूमि सिवायचक नाकाबिल काश्त गै0मु0 खाल की भूमि है जो रेस्पोडेन्ट एएसआई कम्पनी के स्वीकृत खनन लीज क्षेत्र की भूमि है । उक्त भूमि पर मृतक घांसी या कथाकथित उसके वारिसान छीतरलाल या उसके पुत्रों का किसी प्रकार का कोई खातेदार अधिकार या हक स्वामित्व नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर खनन कार्य करने हेतु रेस्पोडेन्ट कम्पनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 (3)(4)(5) भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर को के समक्ष पुराने खसरा नम्बर 404 एवं 405 की भूमि के सम्बन्ध में मुआवजा निर्धारण का निर्णय दिनांक 27.04.1998 एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 13.08.1998 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में स्वयं छीतरलाल पुत्र भैरूलाल ने प्रस्तुत की थी । उक्त अपील को दिनांक 28.02.2003 को न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खारिज किया जा चुका है । उक्त निर्णय की पालना में रेस्पोडेन्ट कम्पनी द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत अन्तरालिया को भुगतान कर दिये जाने के उपरान्त राजस्व नकल जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 में उक्त आराजियात पर रेस्पोडेन्ट कम्पनी को खनन कार्य करने की स्वीकृति अंकन दर्ज की गई है । रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी व नायब तहसीलदार रामगंजमण्डी के विरूद्ध एक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व0ख0) रामगंजमण्डी में प्रस्तुत किया था उक्त वाद में सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट कम्पनी के पक्ष में दिनांक 21.07.2001 को निर्णय व डिक्री पारित कर तहसीलदार एव नायब तहसीलदार रामगंजमण्डी के विरूद्ध यह आदेश पारित किया कि रेस्पोडेन्ट कम्पनी को वादग्रस्त आराजी पर खनन कार्य करने से नहीं रोंके । रेस्पोडेन्ट द्वारा राज्य सरकार की राजकीय सिवायचक भूमि पर खनन कार्य किया जा रहा है । उक्त भूमि प्रार्थीगण अपीलान्ट के खाते की भूमि नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2020 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2021 (1) पेज 35, आरआरटी 2018 (1) पेज 347, आरआरडी 1974 पेज 446 उद्धरत की ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

14. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम अतरालिया की आराजी खसरा नम्बर 494 एवं 495 माफी खेल भराई समस्त वाशिन्दा गॉव घांसी पुत्र नानूराम के खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2005 से 2025 संलग्न है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम अतरालिया की खाता संख्या नया 143 में खसरा नम्बर 404 व

405 की आराजी माफी खेल समस्त वाशिन्दा गॉव घांसी पुत्र नानूराम के खातेदारी में दर्ज है जिस पर जिस तहसीलदार के आदेश दिनांक 17.07.1998 व जिला कलक्टर के आदेश की अनुपालना में खसरा नम्बर 404 व 405 पर एएसआई कम्पनी को खनन कार्य की अनुमति दी गई का नोट अंकित है इसी जमाबन्दी पर एक अन्य नोट नामान्तकरण संख्या 300 से मृतक घांसी के स्थान पर छीतर, मोहन लाल पुत्र भैरूलाल व अन्य के खाते दर्ज करने का नोट अंकित है । उक्त नामान्तरकरण संख्या 300 को जिला कलक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 30.04.2001 की पालना में एवं नायब तहसीलदार चेचट के आदेश दिनांक 05.07.2001 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 300 निरस्त किया गया का नोट अंकित है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 494 रकबा 2.11 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 495 रकबा 0.07 हैक्टर भूमि माफी खेल समस्त वाशिन्दा गॉव घांसी पुत्र नानूराम के खाते दर्ज है जिस पर नोट संख्या 02 से खसरा नम्बर 494 व 495 पर एएसआई कम्पनी को खनन कार्य करने की स्वीकृति हुई का नोट अंकित है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 496 रकबा 4.27 हैक्टर भमि सिवायचक ना0 का0 काश्त गै0मु0 खाल दर्ज है । फोटो प्रति पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 23.11.2012 संलग्न है । फोटो प्रति न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.1998 संलग्न है । फोटो प्रति न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.1998 संलग्न है । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2003 की फोटो प्रति संलग्न है । न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व0 ख0) रामगंजमण्डी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2001 की फोटो प्रति संलग्न हैं ।

15. प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.1998 के अनुसार ग्राम अतरालिया की आराजी साबिक खसरा नम्बर 404 रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 405 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा पर एएसआई कम्पनी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के अन्तर्गत खनन कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी । जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 27.04.1998 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 13.08.1998 के द्वारा मुआवजा राशि ग्राम पंचायत को दिया जाना तय किया गया । उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में की गई जिसे न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 28.02.2003 के द्वारा खारिज कर दिया गया ।

16. पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण अपीलान्ट के खाते में दर्ज नहीं है तथा मृतक घासी भी कभी विवादित भूमि का खातेदार नहीं रहा। रेस्पोडेन्ट के द्वारा वादग्रस्त आराजी का मुआवजा विधि अनुसार तय करवाकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भुगतान करने के उपरान्त उक्त भूमि पर खनन कार्य किया जा रहा है । वादग्रस्त आराजी पर पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होगा । अभी अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना पत्र की स्टेज पर हमे केवल इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्ररकण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति किसके के पक्ष में है । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में तीनों बिन्दु प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति अपीलान्ट के पक्ष में नहीं पाए, जिससे हम सहमत हैं । अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज